

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक  
(आर०सी० डेनवाल , आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

65 / 2019  
4-9-2019

लोकेश सिंह मीना अध्यक्ष, सरस्वती महिला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति प्लाट नं० 5  
एच०एच० कालोनी बम्बोर रोड टोंक ब्रांच कार्यालय 263/859 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर राज०  
आवासीय पता-मकान नं० 1/235 हाउसिंग बोर्ड टोंक राज०

-प्रार्थी (अपीलान्त)

बनाम

- डा० एस.एन. वर्मा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक
- डा० अरुण नामा, ए०ए०ओ० टोंक
- डा० नवेन्द्र पाठक डी०सी० मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सआदत चिकित्सालय टोंक

-अप्रार्थीगण

राजस्थान लोक उपयन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन प्रारूप सं० 1 नियम 83  
के तहत प्रथम अपील विरुद्ध टेण्डर सं० 370 दिनांक 2-8-2019 आई.डी.सं० 2019  
MEDIC 156041-3 आदेश दिनांक 3-9-2019



श्री बंसन्त कुमार जैन अपीलान्त

श्री अरुण नामा, ए०ए०ओ० कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक

निर्णय

दिनांक 16-9-2019

अपील का सार इस प्रकार है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक टेण्डर सं० 370 दिनांक 2-8-2019 आई.डी.सं० 2019 MEDIC 156041-3 आदेश दिनांक 3-9-2019 से कम दर वाली एवं योग्य संस्था का चयन नहीं किया है अपीलान्त के द्वारा पारित उक्त आदेश को विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अधिकारी टोंक से रिपोर्ट मंगवाई जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

५

जिला कलेक्टर  
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि संस्था को पिछले 15 वर्षों का अनुभव है संस्था वर्ष 2008 से मेन पावर सप्लाई अन्य कार्य कर रही है संस्था के पास टेण्डर की माँग अनुसार समस्त रजिस्ट्रेशन एवं अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। उपरोक्त टेण्डर से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज ऑन लाईन टेण्डर में अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद भी पी0एम0ओ0. टोंक ने जानबूझ कर अन्य ऐजेन्सी से मिली भगत कर हमारी संस्था को तकनीकी बीड में पास नहीं कर फाईनेशियल बीड नहीं खोली गई ओर अन्य दो ऐजेन्सियों से मिली भगत कर हमारी संस्था से 10 गुना अधिक दर वाली ऐजेन्सी को कार्य देना चाहता है इस कारण हमें अपील करनी पड़ रही है जो स्वीकार करने योग्य है। जबकि उन संस्थाओं का श्रम विभाग से मेन पावर सप्लाई देने बाबत रजिस्टर्ड नहीं होकर मात्र स्वयं का कर्मचारी नियुक्त करवाने का रजिस्ट्रेशन है इस कारण अन्य संस्थाओं को निविदा व वर्क आर्डर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है इस कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अपीलार्थी संस्था ने चिकित्सा विभाग टोंक में भी मेन पावर सप्लाई कार्य किया है उनका अनुभव प्रमाण पत्र टेण्डर ऑन लाईन भरा गया था जिसमें नियमानुसार सम्पूर्ण दस्तावेजात ऑन लाईन संलग्न किया गये थे लेकिन मूल्यांकन कमेटी के सदस्यगण रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा जाँच के समय जान बूझ कर अन्य ऐजेन्सियों से मिली भगत कर संस्था एवं सरकार को नुकसान पहुँचाने की नियत से अधिक दर वाली ऐजेन्सी को कार्य देने की नियत से अपीलार्थी की संस्था को वंचित कर दिया, बिना किसी ठोस कारण के अपीलार्थी की संस्था को टेक्निकल पास नहीं किया गया जिसका पुनः मूल्यांकन कराया जाना अति आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिस कम्पनी और संस्था को पास किया जा रहा है उसकी दर हमारी संस्था से 10 गुना अधिक है जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपये का नुकसान होगा। प्रार्थी की संस्था के निविदा के तकनीकी प्रपत्र को पूर्णतः रिक्त मानकर प्रत्यर्थी नं० 1 ने भारी विधिक त्रुटि की है, क्योंकि खाली प्रपत्र कम्प्यूटर स्वतः ही अस्वीकार कर देता है, तथा ऑन लाईन निविदा का खाली प्रपत्र भरना संभव ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा पूर्णतः भरा हुआ निविदा का प्रपत्र कम्प्यूटर पर अपलोड किया है। प्रार्थी संस्था का मूल पता टोंक का है संस्था टोंक से ही रजिस्टर्ड है जिसे अन्यत्र कार्यालय पूरे भारत वर्ष में खोलने का अधिकार है इसी अधिकार को उपयोग में लेते हुए संस्था ने अपना शाखा कार्यालय जयपुर में खोल रखा है तथा जयपुर व टोंक स्थित पते प्रार्थी अपीलार्थी संस्था के ही है। निविदा प्रपत्र के साथ संस्था की पहचान से सम्बन्धित सभी दस्तावेज रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पेन कार्ड इत्यादि संलग्न कर रखे हैं संस्था का पेन नम्बर एक ही है अलग अलग नहीं है जिससे स्पष्ट है कि जयपुर व टोंक स्थित कार्यालय एक ही संस्था के हैं निविदा संस्था द्वारा भरी गई है किसी भी व्यक्तिगत फर्म या व्यक्ति का इस निविदा से सम्बन्ध नहीं है इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष का निविदा प्रपत्र में पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था संस्था के रजिस्ट्रेशन व अन्य दस्तावेज के साथ प्रार्थी अपीलार्थी की पहचान भी जुड़ी हुई है जिससे सम्बन्धित दस्तावेज में अपीलार्थी की पहचान स्पष्ट है निविदा प्रपत्र में प्रार्थी के डिजिटल हस्ताक्षर भी मौजूद हैं किन्तु इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर प्रत्यर्थी द्वारा भारी विधिक त्रुटि की है।



जिला कलेक्टर  
टोंक

अपीलार्थी संस्था के विधान में रोजगार से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य करने का उद्देश्य निहित हैं जिसमें मानव श्रम आपूर्ति का उद्देश्य भी निहित हैं साथ ही अपीलार्थी संस्था अपना श्रम विभाग से पंजीयन भी नियमानुसार करवा रखा है जिसका प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ अपलोड कर दिया था किन्तु इन तथ्यों पर भी कोई गौर नहीं कर प्रत्यर्थी नं० 1 ने भारी विधिक त्रुटि की है इस कारण भरी प्रत्यर्थी नं० 1 द्वारा जारी किया गया आदेश निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर सरकार की मंशा एवं टेण्डर में अंकित पैरा के अनुसार अपीलार्थी फर्म के टेण्डर दस्तावेजों का पुनः अवलोकन करने के आदेश देने की कृपा करें एवं पुनः अवलोकन से पहले कार्य आदेश जारी नहीं करने के लिए पी०एम०ओ० टोंक को पाबन्द किये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए पी०एम०ओ० टोंक के ए०ए०ओ० ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं तर्क दिया कि E-Proc-raj-gov-in पर अपलोड की गई निविदा में कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रपत्र पूर्णतः रिक्त अपलोड किया गया है तथा इसके स्थान पर अपने स्वयं के स्तर से प्रपत्र तैयार कर अपलोड किया गया है जो निविदा के संबंध में निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार वैधानिक रूप से सही नहीं होने के कारण स्वीकार्य नहीं है तथा निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों के अनुसार निविदा ;;अध्यक्ष आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति टोंक;; द्वारा अपलोड की गई है। जबकि निविदा के साथ अपलोड किये गये श्रम अधिनियम PF(प्रावधायी निधि) व ESI आदि पंजीयन प्रपत्रों में समिति का प्रतापनगर सांगानेर जयपुर का पंजीयन होना पाया गया है जो निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म का नहीं होने के कारण स्वीकार्य नहीं किया गया है। साथ ही अपलोड किया गया श्रम अधिनियम 1970 का पंजीयन प्रमाण पत्र जो प्रताप नगर सांगानेर स्थित संस्था के नाम का ही है वह भी संस्था का प्रधान नियोजक (प्रीसीपल एम्प्लोयर) का होना पाया गया है जो संस्था के स्वयं के टेण्डर में भाग लेने के लिए न होकर संस्था द्वारा टेण्डर देकर कार्य करवाने हेतु मान्य है। अतः पंजीयन इस निविदा कार्य हेतु वैध नहीं पाया गया।


जवाब में यह भी तर्क दिया कि तकनीकी निविदा प्रपत्र के संलग्न वांछित दस्तावेजों की सूची के विन्दु सं० 7 के अनुसार निविदादाता का व्यक्तिगत पहचान पत्र अपलोड नहीं पाया गया राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अपलोड किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र में नियोजक/मालिक का नाम श्री केलाश चन्द मीणा पुत्र श्री लालाराम के स्थान पर परिवर्तित नाम श्री बनवारीलाल मीणा दर्ज होना अंकित है जिससे संस्था के मूल मालिक/नियोजक प्रस्तुतकर्ता संस्था का होना प्रतीत नहीं होता है। जबकि नियमानुसार संस्था के सभी आवश्यक पंजीयन प्रमाण पत्रों में नियोजक/मालिक या संस्था के नाम व पत्तों पर ही पंजीकृत होना अपेक्षित होता है। निविदा में अपलोड किये गये संस्था के पंजीकृत विधान में वर्णित संशोधित उद्देश्यों की सूची में किसी भी विन्दु में संस्था द्वारा मानव श्रम सेवाओं की आपूर्ति सम्बन्धी कार्य करने का कोई उद्देश्य वर्णित नहीं पाया गया। उपरोक्त निविदा में अपलोड किये गये तकनीकी



✍  
जिला कलेक्टर  
टोंक

निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचि बिन्दु सं० 1, 2 व 3 में वर्णित दस्तावेज त्रूटिपूर्ण पाये जाने एवं बिन्दु सं० 7 में वर्णित दस्तावेज अपलोड नहीं पाये जाने के कारण निविदा की शर्त सं० 1, 11, 21, 22 व 39 की पालना नहीं होने के कारण निविदा तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण निरस्त की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली पर आये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन/जवाब के अवलोकन से निविदा तकनीकी रूप से निरस्त किये जाने के सभी कारणों को अपलोड किये गये दस्तावेजों से सत्यापित पाया गया। तकनीकी निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की सूचि बिन्दु सं० 1, 2 व 3 में वर्णित दस्तावेज त्रूटिपूर्ण पाये गये एवं बिन्दु सं० 7 में वर्णित दस्तावेज अपलोड नहीं पाये जाने के कारण निविदा की शर्त सं० 1, 11, 21, 22 व 39 की पालना नहीं होने के कारण निविदा तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण निरस्त की गई है। अपीलान्त द्वारा आज निर्णय दिनांक को 32 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे निविदा के साथ ही अपलोड किया जाना अपेक्षित था जो नियमानुसार अब प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक द्वारा टेण्डर सं० 370 दिनांक 2-8-2019 आई.डी.सं० 2019 MEDIC 156041-3 आदेश दिनांक 3-9-2019 में की गई कार्यवाही नियमानुसार उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

  
(आर०सी० डेनवाल)  
जिला कलेक्टर  
टोंक

